प्रस्ताव बावत् संक्षिप्त टीप

सामान्य वन मण्डल रायसेन में वन परिक्षेत्र गढ़ी के अंतर्गत संभागीय प्रबंधक एम.पी.आर.डी.सी भोपाल द्वारा वनक्षेत्र मे गढ़ी–अहमदपुर मार्ग निर्माण हेतु आवेदित क्षेत्र कक्ष क्रमांक आरएफ–36 में रकबा 1.900 हे0, आरएफ–38 में रकबा 0.520 हे0, आरएफ–37 में रकबा 0.700 हे0, आरएफ–35 में रकबा 1.820 हे0, आरएफ–48 में रकबा 1.010 हे0, पीएफ–98बी में रकबा 0.100 हे0, पीएफ–987 में रकबा 0.880 हे0, **कुल रकबा 6.930 हेक्टेयर** वन भूमि का चयन उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग हेतु किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

GARHI-AHMADPUR ROAD (FP/MP/ROAD/149386/2021)					
S.N.	RANGE	COMPRTMNT NO.	LENGTH (in m.)	WIDTH (in m.)	AREA (inH.)
1	Garhi	RF-36	2720	7.00	1.904
2		RF-38	625	8.25	0.516
3		RF-37	870	8.00	0.696
4		RF-35	2085	8.75	1.824
5		PF-987	1020	8.60	0.877
6		RF-48	1160	8.75	1.015
7		PF-98B	145.0	7.00	0.102
TOTAL			8625		**6.934**

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ–5–14 / 2005 / 10–3 दिनांक 30.07.2012 में निहित प्रावधान अनुसार प्रकरण के संबंध में पंजीयन शुल्क 1000 / –रू एवं प्रोसेसिंग शुल्क 5000 / –रू कुल 6000 / –रू का डिमॉन्ड ड्राफ्ट आवेदक विभाग द्वारा राज्य के राजस्व मद मे ऑनलाईन जमा कराया गया है। जिसका यूटीआर कमांक MPT0406240320230000216 दिनांक 24.03.2023 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव मे आवेदक विभाग द्वारा वन मण्डल रायसेन सामान्य के अंतर्गत कुल 6.930 हेक्टेयर वनभूमि उपरोक्त मार्ग निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित की गई है। उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2023 द्वारा गढ़ी–अहमदपुर मार्ग हेतु ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा कमांक 125 मे रकबा 4.380 हेक्टेयर एवं खसरा कमांक 126 मे रकबा 9.480 हेक्टेयर कुल 13.860 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड जंगल मद की भूमि आवंटन का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त तारतम्य मे इस कार्यालय द्वारा **गढ़ी–अहमदपुर मार्ग** हेतु दुगनी 13.860 हेक्टेयर गैर वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) मे 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / माचि / 847 दिनांक 26.05.2023 द्वारा तकनीकी स्वीकृति हेतु वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर प्रेषित की गई। तदानुसार वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल के आदेश कमांक / माचि / 169 दिनांक 30.05.2023 द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित वनभूमि 6.930 हेक्टेयर के विरूद्ध दुगने विगडे वनक्षेत्र रकबा 13.860 हेक्टेयर की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की **तकनीकी स्वीकृति** जारी की गई है। प्रकरण के संबंध मे उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्य हेतु सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत कुल रकबा 6.930 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी। प्रभावित वनभूमि की नेट

Scanned with CamScanner

प्रजेन्ट वैल्यू की राशि जमा करने के संबंध मे आवेदक विभाग से वचन पत्र प्राप्त किया गया है। आवेदक विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाॅ आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से उपरोक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संबंध मे आवेदक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण कार्य हेतु सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत कुल रकबा 6.930 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होगी प्रभावित वनभूमि के अलावा अन्य कोई बेहतर विकल्प नही हैं। आवेदित कक्ष कमांकों से संबंधित वनक्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.6 तक है। एवं प्रस्तावित क्षेत्र की स्थल गुणवत्ता IVB एवं VVN है। प्रस्तावित क्षेत्र मे वनो की ईको वैल्यू श्रेणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। इस प्रकार सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत वन परिक्षेत्र गढ़ी मे संभागीय प्रबंधक एम.पी.आर.डी.सी भोपाल द्वारा वनभूमि मे **गढ़ी–अहमदपुर मार्ग** निर्माण कार्य हेतु वनक्षेत्र मे **कुल रकबा 6.930 हेक्टेयर** वनभूमि का चयन किया गया है। उपरोक्त मार्ग के निर्माण होने से आस–पास क्षेत्रों एवं दूरस्थ ग्रामों मे आवागमन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

अतः सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत उपरोक्त चयनित क्षेत्र मे ही उक्त मार्ग निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त अन्य कोई उचित विकल्प नहीं है।

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल रायसेन

D:\DM SECTION - 2023\FCA Online\FCA - 2023\GARHI-AHMADPUR\DFO Certificate.doc

Scanned with CamScanner